(124)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1769–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर, प्रकरण कमांक 2/अपील/2015–16.

.....

प्रभुलाल पिता मोतीलाल
निवासी ग्राम खोकराकलां
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर

..... आवेदक

विरूद्ध

1– दुर्गीबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि घासीराम
निवासी ग्राम खोकराकलां
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर

2– बसंतीबाई पुत्री मोतीलाल पत्नि भागीरथ
निवासी ग्राम सेमल्या तहसील कालापीपल
जिला शाजापुर

3– मध्यप्रदेश शासन द्वारा पटवारी ग्राम खोकराकलां
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर

.....अनावेदकगण

श्री एस0जी0जैन, अभिभाषक– आवेदक
श्री संदेश परिहार, अभिभाषक– अनावेदिका कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 28/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका कमांक 1 दुर्गाबाई द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 3 दिनांक 25–10–1991 पर पारित आदेश दिनांक 26–11–1991 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक

6–10–2015 को लगभग 24 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 2/अपील/2015–16 दर्ज कर दिनांक 18–5–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा 25 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं दर्शाने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश को अपरोक्ष रूप से स्वत्व का निर्धारण किया गया है, जिसका अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहदायी संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार वर्ष 2005 के पश्चात् दिये गये हैं, इसके पूर्व पुत्रियों का कोई अधिकार नहीं था । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 1 व 2 स्वर्गीय भूमिस्वामी की पुत्रियॉ होकर उनका भूमि में स्वत्व निहित है, परन्तु आवेदक द्वारा बिना उन्हें सूचना दिये फौती नामान्तरण करा लिया गया है, जो कि पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित होकर अवैधानिक कार्यवाही है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिये और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है ।

5/ आवेदक एवं अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को

देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा लगभग 25 वर्ष का विलम्ब क्षमा किया गया है, और विलम्ब क्षमा करने का आधार अनावेदिका कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में जानकारी नहीं होना दर्शाया गया है, परन्तु उनके द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र को विचार क्षेत्र में नहीं लिया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर भी विचार नहीं किया गया है कि पिता की मृत्यु के इतने वर्षों तक अनावेदिका कमांक 1 द्वारा अपने पक्ष में वारिसाना नामान्तरण कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई । मूल नामान्तरण वर्ष 1991 में में हुआ है, और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन वर्ष 2005 में हुआ है, अतः उक्त संशोधन का लाभ भी अनावेदिका कमांक 1 को नहीं दिया जा सकता है । 2015 (4) एम.पी.जे. आर. (एस.सी.) 123 में भी यही स्थिति स्पष्ट की गई है । इसके अतिरिक्त अनावेदिका कमांक 1 के अलावा दूसरी बहन अनावेदिका कमांक 2 द्वारा भी नामान्तरण आदेश को चुनौती नहीं दी गई है । इससे भी आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क को बल मिलता है कि वर्ष 1991 का नामान्तरण विधिवत हुआ है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2016 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर